न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व आवेदन सं. 48 / 1984

प्रार्थीगण–

कानाराम पुत्र रूगाराम फोत के कायम मुकाम

1. पोकर पुत्र स्व. काना फोत के कायम मुकाम
1.1 धाई देवी पत्नी पोकर
1.2 मंगला गोद पुत्र पोकर फोत के कायम मुकाम
1.2.1 मुकेश पुत्र मंगलाराम
1.2.2 मनोज पुत्र मंगलाराम
1.2.3 श्रीमती नाजू पत्नी मंगलाराम
2. हराराम पुत्र कानाराम
3. डूंगराम पुत्र कानाराम फोत के कायम मुकाम
3.1 प्रहलाद पुत्र डूंगराराम
3.2 तुलछा पुत्र डूंगराराम
3.3 मूला पुत्र डूंगराराम
3.4 चम्पा पुत्र डूंगराराम
3.5 अन्तरी पुत्र डूंगराराम
4. दला पुत्र कानाराम
5. सरूपा पुत्र कानाराम फोत के कायम मुकाम
5.1 फूला पत्नी सरूपा
5.2 मोडा पुत्र सरूपा
5.3 प्रतापा पुत्र सरूपा
5.4 तिलोका पुत्र सरूपा
5.5 बाबू पुत्र सरूपा

जाति जटिया निवासी सिंधासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. मूलाराम पुत्र धूड़ाराम फोत के कायम मुकाम–
1.1. गवरी बेवा मूला (फोत)
1.2. रघुनाथ पुत्र मूलाराम
2. बींजाराम पुत्र धूड़ाराम
3. भागीरथराम पुत्र नारायण
4. विशनाराम पुत्र नारायण

जाति बिश्नोई निवासी सिंधासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

5. राज. राज्य जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम विरूद्ध आदेश भूमि आवंटन सलाहाकार समिति भाखरपुरा

उपस्थिति :–

1. श्री पुरूषोतम सोलंकी, श्री नृसिंह सोलंकी, अधिवक्तागण प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री भाखराराम गोदारा, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 1से4 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 5 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 14/10/2019

1. प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का कृषिक प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के तहत अप्रार्थी सं. 1 मूलाराम व 2 बींजाराम को दिनांक 17.06.1969 को भूमि आवंटन सलाहाकार समिति भाखरपुरा के खसरा नम्बर 176 मौजा सिन्धासवा चौहानान मे 15–15 बीघा भूमि आवंटन आदेश के विरूद्ध पेश किया गया हैं।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा सिंधासवा चौहानान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 176 जिस पर प्रार्थी का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से चला आ रहा था। तहसीलदार द्वारा आवंटन कमेटी के माध्यम से भू राजस्व आवंटन नियम, 1957 के तहत 15–15 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पक्ष मे आवंटित कर दी। इसके पश्चात अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने आवंटित भूमि को अप्रार्थी सं. 3 व 4 को विक्रय कर दी। अप्रार्थी सं. 3 व 4 ने विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी को बेदखल करना चाहा तो प्रार्थी को आवंटन आदेश की जानकारी हुई एवं प्रार्थी ने राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पक्ष मे हुए आवंटन को निरस्त करने का निवेदन किया, जिसे इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.08.1986 द्वारा अस्वीकार कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण ने एक अपील भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे निर्णय दिनांक 27.09.97 द्वारा अस्वीकार कर दिया। इस पर उक्त दोनो निर्णयों से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत राजस्व मण्डल

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की एकल पीठ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.11.2011 के द्वारा दोनो अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर प्रकरण मे विधिवत सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर पुनः परीक्षण एवं सुनवाई कर निर्णय हेतु निर्देशित किया गया। इस पर प्रकरण पुनः नम्बर पर कायम होकर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 ग्राम सिंधासवा चौहानान के निवासी नहीं हैं तथा आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा बिना कोरम पूर्ण किये नियम विरूद्ध आवंटन किया गया हैं जो निरस्त योग्य हैं। अप्रार्थीगण ग्राम सिंधासवा चौहानान के निवासी नहीं होने से उनके द्वारा पूर्व मे धारित भूमि का रकबा अभिलेख पर नहीं आया हैं ऐसे मे किया गया आवंटन निर्धारित शर्तों के अनुसरण मे नही हैं। आवंटन सलाहाकर समिति के सदस्य के रूप मे केवल सरपंच एवं तहसीलदार द्वारा विवादित भूमि की बिना कब्जे की जांच किये ही आवंटन कर दिया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 को आवंटित भूमि मौके पर खाली नही थी तथा इस पर आज भी अप्रार्थीगण का कोई कब्जा–काश्त नही हैं। अप्रार्थी सं. 1 व 2 को भूमि आवंटन होने पर बिना आवंटन की शर्तों की पालना किये एव मौके पर कब्जा लिये ही गलत रूप से खातेदारी प्राप्त कर ली तथा इसके तुरन्त बाद ही भूमि का बेचान अप्रार्थी सं. 3 व 4 को कर दिया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 को आवंटित भूमि वक्त बन्दोबस्त से पूर्व से ही प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त मे रही हैं तथा अप्रार्थीगण का इस पर कभी कब्जा नही होने से किया गया आवंटन निरस्त योग्य हैं।

4. अप्रार्थी सं. 1 से 4 के अधिवक्ता द्वारा जवाब मे निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 के हक मे भूमि आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा किया गया आवंटन पूर्णतया विधिसम्मत हैं तथा आवंटी अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा आवंटन की सम्पूर्ण शर्तों की पालना करते हुए निर्धारित प्रिमियम अदा किया तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये हैं। अप्रार्थीगण को उक्त आवंटन भू आवंटन नियम 1957 के अन्तर्गत हुआ था जिसके विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया गया हैं जो कतई विधि अनुकूल नही हैं। किसी भी पश्चातवर्ती अधिनियमित विधि के अन्तर्गत पूर्ववर्ती संविधि के दायरे मे निष्पादित आदेश को चुनौती दिये जाने का भूतलक्षी प्रभाव लागू नहीं किया जा सकता हैं। अप्रार्थीगण को आवंटन

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

हुए आज करीब 50 वर्ष हो गये है जो इतनी लम्बी समयावधि के पश्चात जब खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है, इस सरसरी कार्यवाही के द्वारा आवंटन निरस्त किया जाना विधि सम्मत नही हैं। इस सम्बन्ध मे आरआरडी 1986 पेज 137 का उद्धरण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया हैं कि जहां आवंटन उपरांत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है, उन प्रकरणों मे नियम 14(4) लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रकट किया कि प्रार्थीगण का विवादित भूमि के संबंध मे कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं है तथा अप्रार्थीगण के पक्ष हुए आवंटन के विरूद्ध कोई सारवान तथ्य या विधिक प्रावधान प्रस्तुत नही किया गया हैं। प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र महज अप्रार्थीगण को नाहक परेशान करने की नीयत से मनगंढत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया हैं । अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर आलौच्य आवंटन आदेश यथावत बहाल रखे जाने का आदेश जारी किया जावें।

5. हमने दोनो पक्षों द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा सिंधासवा चौहानान के खसरा नम्बर 176 मे अप्रार्थी सं. 1 मूला व अप्रार्थी सं. 2 बींजा के पक्ष मे 15–15 बीघा भूमि आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक दिनांक 17.06.1969 को बमुकाम भाखरपुरा मे सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय द्वारा आवंटन की गई थी। प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत कर उक्त आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया गया हैं। प्रार्थीगण का कथन हैं कि प्रथम तो अप्रार्थीगण ग्राम सिंधासवा चौहानान के निवासी नहीं है द्वितीय आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक मे कोरम पूर्ण नहीं था जिसके फलस्वरू उक्त आवंटन नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य हैं। इस संबंध मे अप्रार्थी की ओर से अप्रार्थी सं 1 व 2 के राशन कार्ड एवं मतदाता सूचि की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गई है जिसमे अप्रार्थी सं. 1 व 2 की सकूनत ग्राम सिंधासवा चौहानान अंकित हैं। इसके अलावा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता कथन हैं कि आवंटन को आज करीब 50 वर्ष पूर्ण हो गये हैं तथा आवंटीगण द्वारा आवंटन की सम्पूर्ण शर्तों की पालना किये जाने के फलस्वरूप खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं, ऐसे मे इस सरसरी कार्यवाही के द्वारा आवंटन निरस्त किया जाना विधि अनुकूल नही हैं। इस संबंध मे अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय नजीर आरआरडी 1986 पेज 137 का अवलोकन करने पर उक्त दृष्टांत हस्तगत प्रकरण मे अक्षरशः लागू होना प्रतीत होता

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

हैं। इसके अलावा प्रार्थीगण द्वारा इस प्रार्थना पत्र के द्वारा लगाये गये आक्षेपों के समर्थन मे कोई ठोस साक्ष्यात्मक एवं विधि के सारभूत प्रावधानों के बारे मे कोई तथ्य प्रकट नही किये हैं, ऐसे मे आलौच्य आवंटन आदेश के 50 वर्ष पश्चात जब पक्षकारान को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है, अब निरस्त किया जाना हमारे विनम्र अभिमत अनुसार कतई विधिसम्मत नही हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है तथा आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पक्ष में किया गया आलौच्य आवंटन आदेश दिनांक 17.06.969 यथावत बहाल रखा जाता है।

7. आदेश आज दिनांक 14.10.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर

अपर कलेक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)